अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 547/24 (CIS NO. 547/24)

रमेश चन्द सैनी **बनाम जविप्रा**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं0– 547/2024

रमेश चंद सैनी व अन्य बनाम जविप्रा

दिनांक 15.07.2026

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एस. सोलंकी उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक आत्रेय उपस्थित। जविप्रा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। नकल दिलाई गई।

2. बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

3. जविप्रा द्वारा दिनांक 05.07.2024 को अपीलार्थीगण को जविप्रा अधिनियम, 1982 की धारा 72 का नोटिस दिया जाकर यह आक्षेपित किया कि अपीलार्थीगण द्वारा जविप्रा जयपुर स्वामित्व की भूमि खसरा नं0 354 ग्राम कल्याणपुरा में रकबा 0.0700 है0 पर 20 मीटर लंबाई में तारबंदी 10' बाई 10' फीट में टीनशेड, 20' बाई 10' फीट व 20' बाई 10' फीट में बाउण्ड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जो जविप्रा स्वामित्व की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। उक्त नोटिस जारी कर अपीलार्थीगण से यह अपेक्षित किया गया कि वह अपने अतिक्रमण को हटा लेवे और यदि कुछ आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दिनांक 10.07.2024 तक पेश करे ताकि आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

4. उक्त नोटिस से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई तथा जविप्रा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलाधीन नोटिस के माध्यम से अपीलार्थीगण को जविप्रा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थीगण उक्त नोटिस के प्रतिउत्तर में अपना जवाब व सुसंगत दस्तावेजों के माध्यम से अपने निर्माण की वैधानिकता को प्रमाणित व साबित कर सकते है। इस प्रक्रम पर जब प्राधिकरण द्वारा विधिक प्रकिया आरंभ करते हुये अपीलार्थीगण को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान किया गया है तो इस अधिकरण का हस्तक्षेप गुण–दोषों पर कोई अभिमत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः यह अपील निम्न निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है:–

1. अपीलार्थीगण आदेश दिनॉक से 15 दिन के भीतर नोटिस धारा 72 जविप्रा अधिनियम के नोटिस के सम्बन्ध में अपनी आपत्तिया/जवाब व सुसंगत दस्तावेज प्रत्यर्थी के संबंधित जोन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगे।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 54/124 (CIS NO. 54/124)

रमेश चन्द सैनी **बनाम जविप्रा**

ख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2. अपीलार्थीगण द्वारा इस विहित समयावधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर यह उपधारित किया जा सकेगा कि वह इस नोटिस के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखना नहीं चाहते हैं।
3. अपीलार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी द्वारा विस्तृत कारण अंकित करते हुए अपना निर्णय अविलंब पारित करें तथा उक्त निर्णय से अपीलार्थीगण को अवगत करावें।
4. इस विधिक प्रकिया/कार्यवाही के लम्बित रहने तक अपीलार्थीगण किसी प्रकार का कोई निर्माण/ अतिक्रमण नहीं करेगे, साथ ही कार्यवाही पूर्ण होने तक, प्रत्यर्थी द्वारा भी विवादित निर्माण कार्य को किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त, ध्वस्त अथवा सील नहीं किया जावेगा।
5. यदि जविप्रा द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध कोई आदेश/विधिक नोटिस दिया जाता है तो निर्माण हटाने हेतु उसे न्यूनतम सात दिन का अवसर प्रदान किया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक **15.07.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।